

न्यायालय एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कमिश्नर साहपुर जिला जयपुर (राज्य)

बीबीसी अधिकारी
साहपुर एवं सहायक

- श्री कमलेश्वर शर्मा (आर ५ एन)
-13/2022

उपस्थान

1. नन्दी देवी पति एवं मातीराम
2. प्रभातीराम पुत्र एवं मातीराम
3. मन्मथन पुत्र एवं मातीराम

समस्त जातिस्थान मुजंर निवासीयान मायन तहसील साहपुर जिला जयपुर (राज्य)

काटीयन

इयाम

1. मन्मथन जाल पुत्र साहुराम जाली शीमा निवासी मायन तहसील साहपुर जिला जयपुर (राज्य)
2. इन्दुदयाल शीमा पुत्र गंगाराम शीमा जाली शीमा निवासी चालेडा तहसील जयपुरजयपुर जिला जयपुर (राज्य)
3. भुक्तिजाल सादर पुत्र माधुराम सादर जाली अरिंर निवासी सखल तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज्य)
4. धर्मराज शीमा पुत्र जगदीश शीमा जाली शीमा निवासी 88 पूर्वी बाजार बीसल तहसील सुमेर जिला जयपुर (राज्य)
5. सुमन देवी पति रतनजाल
6. सावित्री देवी पति सुरेश
समस्त जातिस्थान माली निवासीयान मायन तहसील साहपुर जिला जयपुर (राज्य)
7. राजस्थान सरकार (पू-आरक) जरिये तहसीलदार तहसील साहपुर जिला जयपुर (राज्य)

प्रतिवादीयन

8. विमला देवी पति एवं सुल्तान
9. धीवाराम पुत्र एवं सुल्तान
10. गोविंदन पुत्र एवं सुल्तान
11. बनवारी पुत्र एवं सुल्तान
12. शिन्धुदयाल पुत्र एवं सुल्तान
13. विकास पुत्र एवं सुल्तान
14. साधुलाल पुत्र धीला
15. रामनिवास पुत्र एवं कातुराम उर्फ इन्दुमान
16. विद्यावी पति एवं कातुराम उर्फ इन्दुमान
17. भागीला पुत्री एवं कातुराम उर्फ इन्दुमान
18. कान्हा पुत्री एवं कातुराम उर्फ इन्दुमान
19. रामचन्द्र पुत्र मन्मथ
20. साधु पुत्र सुधा

समस्त जातिस्थान मुजंर निवासीयान मायन तहसील साहपुर जिला जयपुर (राज्य)

21. कोकली पुत्री एवं नन्दी देवी पति एवं शीला पति बाली जाली मुजंर निवासी देव का इलाका तहसील आमेर जिला जयपुर (राज्य)
22. प्रभाती पुत्री एवं नन्दी देवी पति एवं शीला पति निवासी जाली मुजंर निवासी किरौटी तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज्य)
23. जन्म पुत्र मातीराम (समस्त पुत्री मातीराम के पति)
24. प्रियाशु पुत्री एवं समस्त पति जन्म
25. जतिश्वर पुत्र एवं समस्त पति जन्म
माहात्म्य (क सं.24 व 25) जरिये प्राकृतिक सहायक जिला जन्म पुत्र मातीराम (समस्त पुत्री मातीराम के पति)
समस्त जातिस्थान मुजंर निवासीयान साहपुर तहसील साहपुर जिला जयपुर (राज्य)

समस्त जातिस्थान



- (1) सुप्रीम सिविल अपील नं. 10000/2022
- (2) बीबीसी मुजंर अपील नं. 1/2022

1-2-22

न्यायालय

वादीगण की और से एक वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा. दी. बाबत मान्यता करार दिये जाने लिखित सहमती बटवारा घोशाणा खातेदारी एवं स्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संक्षेप में निम्न प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 264 के खसरा नम्बरान् 2213/0.0450, 2213/1/0.0350 कुल किता 2 रकबा 0.08 हैक्टेयर जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2/9, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 1/9 तथा शेष हिस्सा 1/3 हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण, हाल आराजी खाता सं. 265 के खसरा नम्बरान 2164/0.11, 2272/0.46, 2273/1.17, 2289/0.12, 2290/0.33, 2298/0.03 कुल किता 6 रकबा 2.22 हैक्टेयर जिसमें प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 2/9, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 1/45, प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 1/45 तथा शेष हिस्सा 7/30 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण, हाल आराजी खाता संख्या 267 के खसरा नम्बरान् 2274/0.1950, 2274/1/0.05, 2274/2/0.0150, कुल किता 3 रकबा 0.26 हैक्टेयर वाकैँ ग्राम नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0) में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/3 तथा शेष हिस्सा 1/3 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण, हाल आराजी खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान 2165/0.05, 2166/0.19, 2268/0.10, 2214/1.42, 2215/1.19, 2271/1.12, 2283/0.1250, 2283/1/0.0250, 2283/2/0.01, 2291/0.33, 2299/0.49 कुल किता 11 रकबा 5.05 हैक्टेयर जिसमें प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 2/9 प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 1/9 व शेष 1/3 हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की वाकैँ ग्राम नायन तहसील भाहपुरा जिला जयपुर (राज.) की राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार शामिल की गयी है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण शामिल करने में ही काश्त करते आये थे तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा खाता सं. 264 में 1/3 हिस्सा, खाता सं. 265 में 7/30 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 को शामिल करने पर हिस्सा 1/3 तथा खाता सं. 267 में हिस्सा 1/3 एवं खाता सं. 269 में हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा शेष सम्पूर्ण में राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा 2/3 प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का निहित है तथा प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बटवारा नहीं हुआ है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अजनबी क्रेता है जिन्होंने प्रश्नगत भूमियां खरीद की है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती व राजीनामा से दिनांक 21.12.2021 को वाद-पत्र के खण्ड सं. 1 ता 4 में वर्णित भूमियों का लिखित बटवारा कर लिया जिसके अनुसार खाता सं. 265 के खसरा नम्बरान 2289/0.12, 2290/0.33, 2298/0.03 सम्पूर्ण व 2273/1.17 में 0.64 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.12 हैक्टेयर खाता सं. 267 के खसरा नम्बरान 2274/2/0.0150 सम्पूर्ण व 2274/0.1950 में 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0450 हैक्टेयर तथा खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान् 2282/2/0.01, 2283/0.1250, 2291/0.33, 2299/0.49 सम्पूर्ण तथा 2271/1.12 हैक्टेयर में से 0.38 कुल किता 2 रकबा 1.33 हैक्टेयर यानी कुल किता 11 रकबा 2.50 हैक्टेयर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 के खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2213/0.0450 किता 1 रकबा 0.0450 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण भूमि रही एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में खाता सं. 265 के खसरा नम्बर 2164/0.11 हैक्टेयर किता 1 रकबा 0.11 हैक्टेयर तथा खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान् 2165/0.05, 2166/0.19, 2208/0.10 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2214/1.42 में से 1.18 कुल किता 4 रकबा 1.52 हैक्टेयर यानी सम्पूर्ण किता 5 रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि बटवारा में रही है। तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से में खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2272/0.46, हैक्टेयर सम्पूर्ण खाता सं. 265 के खसरा नम्बरान् 2273/1.17 में से 0.53 हैक्टेयर खाता सं. 267 के खसरा नम्बर 2274/0.1950 में से 0.1650 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 269 के खसरा नम्बरान् 2271/1.12 हैक्टेयर में से 0.74 हैक्टेयर 2215/1.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण व 2214/1.42 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर यानी कुल किता 6 रकबा 3.3250 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बटवारा में रहा है। तथा खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2213/1/0.0350 हैक्टेयर व खाता सं. 269 के खसरा नम्बर 2283/1/0.0250 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उनके हिस्सेनुसार शामिल करने में शामिल रहा है। तथा इसी के अनुसार खाता सं. 267 के ख.नं. 2274/1/0.05 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में जिन खातेदार का नाम दर्ज है उनके हिस्सेनुसार शामिल किया गया है।

उपरोक्तानुसार वादीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य सहमति से लिखित बटवारा हो जाने के बाद वादीगण व अन्य सहखातेदारान अलग-अलग खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने-अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार वाद-पत्र के खण्ड सं. 6 में वर्णितानुसार रकबा 2.50 हैक्टेयर पर प्रथक से काबिज काश्त है। परन्तु सहमति बटवारा के बावजूद प्रतिवादीगण सहमति बटवारा पर कायम नहीं रहना चाहते हैं तथा आये दिन सीव डोल विवाद व विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा पर

31/8/21
0-1250
म/सहायक
शाहपुरा (रि.)



सहायक कलक

सहमति बटवारा की भूमि पर पुनः काबिज होने की धमकी देते हैं जिस कारण वाद को मान्यता करार बटवारा का वादा पे । करना आवश्यक हुआ है। तथा दिनांक 20/01/2022 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से सहमति बटवारा के अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर कानूनी बटवारा का निवेदन किया परन्तु उन्होंने सहमति बटवारा हेतु मना कर दिया इस कारण वादी को मान्यता करार दिये जाने बटवारा घोषणा खातेदारी पेश करना अति आवश्यक हुआ है। एवं प्र नगत भूमि के सहखातेदार इन्द्राज पुत्र मालीराम कुआरा फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान वादीगण है तथा नन्दी पत्नि घोसा भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान तरतीबी प्रतिवादी सं. 14, 21, 22, 23, 24, 25, व वादीगण है तथा सन्तरा पुत्री मालीराम भी फौत हो चुकी है जिसमें विधिक वारिसान तरतीबी प्रतिवादी सं. 23 ता 25 है जिन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा तकासमा हो के बाद विरासत नामान्तरण करवाया जा सकता है।

अन्त में वादीगण ने बटवारा को मान्यता करार दिया जाकर खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निशेधाज्ञा का निवेदन किया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस प्रतिवादीगण जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं. 7, बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ली गईं भोश प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया तथा तरतीबी प्रतिवादीगण ने वाद पत्र को स्वीकार करते हुये अनुतोश के मुताबिक बटवारा हेतु सहमति प्रदान की तथा उभय पक्षों द्वारा राजीनामा मय प्रस्तावित बटवारा नक्शा अलग-अलग रंग भरकर पेश कर राजीनामा व नक्शा के मुताबिक बटवारा कर खातेदारी घोषणा का निवेदन किया जो बाद तस्दीक भामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बटवारा एवं स्थायी निशेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसमें उभय पक्षों ने राजीनामा पेश कर प्रस्तावित नक्शा अनुसार बटवारा खातेदारी घोषणा चाही है तथा रास्ते हेतु भूमि भामलाती में रही है तथा आपसी सहमति से व लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा कर लिया है तथा प्र नगत भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार राजीनामा किया गया है जिससे सभी सहखातेदार सहमत है तथा राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं तथा पक्षकारान के मध्य उक्त प्रकरण से सम्बंधित कोई विवाद या वाद बिन्दू शेष नहीं रहा है

अतः वादीगण का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर बटवारा को मान्यता प्रदान की जाकर वादीगण, प्रतिवादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(1) यह कि खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2272/0.46, हैक्टेयर सम्पूर्ण खाता सं. 265 के खसरा नम्बरान् 2273/1.17 में से 0.53 हैक्टेयर खाता सं. 267 के खसरा नम्बर 2274/0.1950 में से 0.1650 हैक्टेयर एवं खाता सं. 269 के खसरा नम्बर 2271/1.12 हैक्टेयर में से 0.74 हैक्टेयर 2215/1.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण व 2214/1.42 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर यानी कुल किता 6 रकबा 3.3250 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 3 व 4 के बटवारा में रहेगी जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग पीला से दर्शाया है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 का हिस्सा वाद पत्र के खण्ड सं. 1 ता 4 में वर्णित भूमियों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा रहेगा।

(2) यह कि खाता संख्या 265 के खसरा नम्बरान् 2289/0.12, 2290/0.33, 2298/0.03 सम्पूर्ण व 2273/1.17 में से 0.64 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.12 हैक्टेयर खाता सं. 267 के खसरा नम्बरान् 2274/2/0.0150 सम्पूर्ण व 2274/0.1950 में से 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0450 हैक्टेयर तथा खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान् 2282/2/0.01, 2283/0.12, 2291/0.33, 2299/0.49 सम्पूर्ण तथा 2271/1.12 हैक्टेयर में से 0.38 कुल किता 2 रकबा 1.33 हैक्टेयर यानी कुल किता 11 रकबा 2.50 हैक्टेयर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 के बटवारा में रहेगी जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग ओरेंज से दर्शाया है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 का हिस्सा वाद पत्र के खण्ड सं. 1 ता 4 में वर्णित भूमियों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा रहेगा।

(3) यह कि खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2213/0.0450 प्रतिवादी सं. 1 के बटवारा में रहेगी जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग हरा से दर्शाया है।

(4) यह कि खाता संख्या 265 के खसरा नम्बरान् 2164/0.11, सम्पूर्ण खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान् 2165/0.05, 2166/0.19, 2208/0.10 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2214/1.42 में से 1.18 कुल किता 5 रकबा 1.63 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 2 के बटवारा में रहेगी। जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग लाल से दर्शाया है।

(5) यह कि खाता संख्यां 264 के खसरा नम्बरान् 2213/1/0.0350, खाता सं. 269 के खसरा नम्बर 2283/1/0.0250, कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टेयर वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 3, व 4 के शामलाती में गैरमुमकिन रास्ता की बटवारा में रहेगी। जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है।

(6) यह कि खाता संख्यां 267 के खसरा नम्बर 2274/1/0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 हैक्टेयर वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 3, 5, व 6 के भामलाती में गैरमुमकिन रास्ता की बटवारा में रहेगी। जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है। उभय पक्षों के सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है। उभय पक्षों के सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है। उभय पक्षों के सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है।



प्रा. क्रि-3/23
सहायक सचिव
जिला-जलंधर

निशेधाज्ञा से सदैव-सदैव के लिये पाबंद किया जाता है कि अलग-अलग बटवारा में आयी भूमि के उपयोग उपभोग में आपस में दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। जबकि अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करें। राजीनामा व प्रस्तावित नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

दिनांक 1-2-2022 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मर्नमोहन मीना)

उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर

~~जयपुर जिला जयपुर~~
जयपुर (जिला-जयपुर) राज.



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व वाद संख्या

- श्री मनमोहन मीणा (आर ए एस)
-13 / 2022

उनवान

1. मन्नी देवी पत्नि स्व. मालीराम
 2. ख्यालीराम पुत्र स्व. मालीराम
 3. मकखन पुत्र स्व. मालीराम
- समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गणपत लाल पुत्र बालूराम जाती मीणा निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
 2. प्रभूदयाल मीणा पुत्र गंगाराम मीणा जाती मीणा निवासी पालेडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)
 3. मुक्तिलाल यादव पुत्र नाथूराम यादव जाती अहीर निवासी रूडल तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0)
 4. धर्मराज मीणा पुत्र जगदीश मीणा जाती मीणा निवासी 86 पूर्वी बाजार भैंसावा तहसील फूलेरा जिला जयपुर (राज0)
 5. सुमन देवी पत्नि रतनलाल
 6. सावित्री देवी पत्नि सुरेश
- समस्त जातियान माली निवासीयान नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
7. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

8. विमला देवी पत्नि स्व. सुल्तान
 9. धोलाराम पुत्र स्व. सुल्तान
 10. गोर्वधन पुत्र स्व. सुल्तान
 11. बनवारी पुत्र स्व. सुल्तान
 12. शिम्भूदयाल पुत्र स्व. सुल्तान
 13. विकास पुत्र स्व. सुल्तान
 14. बाबूलाल पुत्र घीसा
 15. रामनिवास पुत्र स्व. कालूराम उर्फ हनुमान
 16. बिदामी पत्नि स्व. कालूराम उर्फ हनुमान
 17. भागोता पुत्री स्व. कालूराम उर्फ हनुमान
 18. कान्ता पुत्री स्व. कालूराम उर्फ हनुमान
 19. रामचन्द्र पुत्र गणेश
 20. साधू पुत्र झूथा
- समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
21. कोयली पुत्री स्व. नन्ही देवी पत्नि स्व. घीसा पत्नि बंशी जाति गुर्जर निवासी देव का हरवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0)
 22. प्रभाती पुत्री स्व. नन्ही देवी पत्नि स्व. घीसा पत्नि गिरधारी जाति गुर्जर निवासी सिरौही तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0)
 23. पप्पु पुत्र मालीराम (सन्तरा पुत्री मालीराम के पति)
 24. प्रियांशू पुत्री स्व. सन्तरा पत्नि पप्पु
 25. जोगिन्दर पुत्र स्व. सन्तरा पत्नि पप्पु

नाबालिग (क.सं.24 व 25) जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता पप्पु पुत्र मालीराम (सन्तरा पुत्री मालीराम के पति) समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान चतरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

तरतीबी प्रतिवादीगण



- (1). सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण एवं तर. प्रति.
- (2). श्रीराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6

उपस्थित

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

निर्णय दिनांक

अतः वादीगण का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर बटवारा को मान्यता प्रदान की जाकर वादीगण, प्रतिवादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(1) यह कि खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2272/0.46, हैक्टेयर सम्पूर्ण खाता सं. 265 के खसरा नम्बरान् 2273/1.17 में से 0.53 हैक्टेयर खाता सं. 267 के खसरा नम्बर 2274/0.1950 में से 0.1650 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 269 के खसरा नम्बर 2271/1.12 हैक्टेयर में से 0.74 हैक्टेयर 2215/1.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण व 2214/1.42 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर यानी कुल किता 6 रकबा 3.3250 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 3 व 4 के बटवारा में रहेगी जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग पीला से दर्शाया है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 का हिस्सा वाद पत्र के खण्ड सं. 1 ता 4 में वर्णित भूमियों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा रहेगा।

(2) यह कि खाता संख्या 265 के खसरा नम्बरान् 2289/0.12, 2290/0.33, 2298/0.03 सम्पूर्ण व 2273/1.17 में 0.64 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.12 हैक्टेयर खाता सं. 267 के खसरा नम्बरान् 2274/2/0.0150 सम्पूर्ण व 2274/0.1950 में 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0450 हैक्टेयर तथा खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान् 2282/2/0.01, 2283/0.12, 2291/0.33, 2299/0.49 सम्पूर्ण तथा 2271/1.12 हैक्टेयर में से 0.38 कुल किता 2 रकबा 1.33 हैक्टेयर यानी कुल किता 11 रकबा 2.50 हैक्टेयर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 के बटवारा में रहेगी जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग ओरेंज से दर्शाया है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 व 6 का हिस्सा वाद पत्र के खण्ड सं. 1 ता 4 में वर्णित भूमियों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा रहेगा।

(3) यह कि खाता सं. 264 के खसरा नम्बर 2213/0.0450 प्रतिवादी सं. 1 के बटवारा में रहेगी जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग हरा से दर्शाया है।

(4) यह कि खाता संख्या 265 के खसरा नम्बरान् 2164/0.11, सम्पूर्ण खाता सं. 269 के खसरा नम्बरान् 2165/0.05, 2166/0.19, 2208/0.10 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2214/1.42 में से 1.18 कुल किता 5 रकबा 1.63 हैक्टेयर प्रतिवादी सं. 2 के बटवारा में रहेगी। जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग लाल से दर्शाया है।

(5) यह कि खाता संख्या 264 के खसरा नम्बरान् 2213/1/0.0350, खाता सं. 269 के खसरा नम्बर 2283/1/0.0250, कुल किता 2 रकबा 0.06 हैक्टेयर वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 3, व 4 के शामलाती में गैरमुमकिन रास्ता की बटवारा में रहेगी। जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है।

(6) यह कि खाता संख्या 267 के खसरा नम्बर 2274/1/0.05 कुल किता 1 रकबा 0.05 हैक्टेयर वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं. 3, 5, व 6 के शामलाती में गैरमुमकिन रास्ता की बटवारा में रहेगी। जिसे राजीनामा के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा सहमति बटवारा में बरंग गुलाबी से दर्शाया है। उभय पक्षों को स्थायी निशेधाज्ञा से सदैव-सदैव के लिये पाबंद किया जाता है कि अलग-अलग बटवारा में आयी भूमि के उपयोग उपभोग में आपस में दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। जबकि अपने अपने हिस्से पर भातिपूर्वक काश्त करें।

राजीनामा व प्रस्तावित नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जावे।

निर्णय आज दिनांक 1-2-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(मनमोहन मोना)
उप जिला सचिव/प्रदेन सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जाबपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 _____ रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	